संख्या– / II(2)–2017–04(07)/2016

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग –2 देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर पूंजीलेखा पक्ष में धनावंटन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2543, 2545 एंव 2544/प्र0अ0/बजट/बी–1 सामान्य दिनांक 04 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सेक्टर पूंजीलेखा पक्ष में **संलग्नक** मे उल्लिखित विवरणानुसार कुल रू0 110.00 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो पर किया जाय, जिनके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दंशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

...2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर पूंजीलेखा पक्ष में **संलग्नक** में उल्लिखित लेखाशीर्षक 4701 के उप लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सख्या 351/XXVII(2)/2017, दि0–22 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

सलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2219 **(1)/ ।।(2)–2017–04(07)/2016, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, दे0दून ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।

संलग्नक

शासनादेश सं0 22/9/ ।।(2)–2017–04(07)/2016, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

क0 सं0	मद का नाम	लेखाशीर्षक	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	प्रशिक्षण केन्द्रो का उच्चीकरण	(4701– मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–006 – परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण–03–निर्माण कार्य– 42–अन्य व्यय)	50.00
2	प्रशिक्षण कार्यक्रम	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–003– प्रशिक्षण–03–निर्माण कार्य–24–वृहत निर्माण कार्य	50.00
3	शोध कार्यक्रम का विस्तार	4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80– सामान्य–004–शोध कार्यक्रम का विस्तार–03–निर्माण कार्य–42–अन्य व्यय	10.00
		योग	110.00

(रू0 एक करोड़ दस लाख मात्र)

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव